:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार न्योल RAS.
मूकदमा नम्बर 19/2023

श्री रमेश पिता जयसिंह डामोर निवासी वार्ड नंबर 6, झाबवा फला टंकारी पोस्ट बांदेला तहसील सीमलवाड़ा जिला--डूँगरपुर राज.।

---प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती रूखी पत्नी जयसिंह डामोर
2. श्री रणछोड पिता जयसिंह डामोर
   निवासीगण वार्ड नंबर 6, झाबवा फला टंकारी पोस्ट बांदेला तहसील सीमलवाडा जिला--डूंगरपुर राज.।
3. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज.।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट सपठित धारा 151 जा०दी०

उपस्थितः–

1. श्री कालूराम डामोर, अधिवक्ता प्रार्थी।

:: आदेश :: **दिनांक 29/05/2024**

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी गांव टकारी पटवार हल्का भचडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर के स्थायी निवासी है। वादी के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम टकारी में खाता संख्या 139, खसरा नम्बर 226, 227, 244, 372, 373, 375 से 377, 379, 525, 547, 549, 550, 551, 553, 554, 556 से 560, 562 से 566, 568, 586, 588, 589, 707, 709, 710, 713, 714, 716, 718, 719 खेत किता 38, कुल रकबा 20.0157 हैक्टेयर होकर 1/36 हिस्सा स्थित है। अपने हिस्से पर केसीसी ऋण लेने हेतु वादी ने खाते की हाल जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला कि हाल जमाबन्दी में वादी का नाम सेहवन से लक्ष्मण पिता जयसिंह डामोर नाम दर्ज कर दिया है। वादी की विरासती आराजी के नामान्तरण के समय रमेश के स्थान पर लक्ष्मण नाम का नामान्तरण खोला गया। जबकि वादी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड में रमेश डामोर अंकित है। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। नामान्तरण में वादी का नाम शुद्धिकरण कर रमेश पिता जयसिंह डामोर नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी, वादी को ग्राम टकारी में खाता संख्या 139, खसरा नम्बर 226, 227, 244, 372, 373, 375 से 377, 379, 525, 547, 549, 550, 551, 553, 554, 556 से 560, 562 से 566, 568, 586, 588, 589, 707, 709, 710, 713, 714, 716, 718, 719 खेत किता 38, कुल रकबा 20.0157 हैक्टेयर होकर 1/36 हिस्से से बेदखल न करे। वादग्रस्त आराजी वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी होने तथा वादग्रस्त भुमी पर वादी का जन्म से अधिकार निहीत होने से वादी के पक्ष में है। ऐसे में वादी का

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

नाम राजस्व रिकॉर्ड में दूरस्त नहीं किए जाने पर वादी को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नही की जा सकती है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा जवाब प्रार्थना--पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रमेश पिता जयसिंह डामोर की जगह लक्ष्मण पिता जयसिंह डामोर गलत दर्ज हो गया है। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी का नाम विधिक प्रक्रिया एवं पटवारी को दी गई जानकारी से ही लक्ष्मण पिता जयसिंह डामोर दर्ज किया जाना बताया गया है। समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आदेश आज दिनांक 29/05/2024. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner